न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र संख्या 16/2016

प्राथी		विप्रार्थीगण
भंवरलाल पुत्र बंशीलाल जाति सोनी निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा	बनाम	1. ग्राम पंचायत पाटोदी जरिये सरपंच 2. संगीता देवी पत्नी अशोक कुमार जाति ओसवाल निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः– 1. श्री मदनलाल सिंहल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रमेश सोलंकी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।
3. विप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.03.2017

1. संक्षेप में प्रार्थी के आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थीनी संख्या 02 संगीता देवी पत्नि अशोक कुमार ने ग्राम पंचायत पाटोदी के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम पाटोदी के मुख्य बाजार में 1673 वर्ग फीट की भूमि आई हुई है, जिस पर उसका 20 वर्षो से रहवास है, इसलिये उसके हक में विक्रय विलेख पट्टा जारी किया जाए। इस पर ग्राम पंचायत पाटोदी ने पत्रावली संख्या 24 कायम कर बाद जांच आदेश दिनांक 20.04.2013 द्वारा रूपये 200/– वसूल कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत विप्रार्थीनी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 74 जारी किया। इस आदेश के विरूद्व प्रार्थी भंवरलाल ने इस न्यायालय में निगरानी संख्या 04/2014 पेश की जिस पर पक्षकारान को सुनकर निर्णय दिनांक 15.06.2016 द्वारा प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा विप्रार्थीनी संगीता देवी के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 74 दिनांक 20.4.2013 यथावत रखते हुए आबादी भूमि में आम रास्ते व गली में अतिक्रमण हटाने के लिये प्रार्थी को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये। इस निर्णय का पुनर्विलोकन (Review)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करने हेतु प्रार्थी ने यह आवेदन पत्र धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश किया।

2. हमने पुनर्विलोकन आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं पत्रावली तलब की। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रमेश सोलंकी ने दिनांक 23.01.2017 को जवाब पेश कर आवेदन पत्र के पद संख्या 01 से 04 में वर्णित तथ्य मूल निगरानी के होने से पूर्णतया बताया और आवेदन पत्र के पद संख्या 05 व 06 अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

3. विप्रार्थी संख्या 01 सरपचं ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा दिनांक 23.01.2017 को प्रस्तुत जवाब में बताया कि ग्राम पंचायत पाटोदी के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 20.04.2013 को पट्टा सही जारी किया गया था। राजस्थान पंचायती राज नियम 157(2) मे केवल उसी भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा सकता है, जिस पर पट्टे की मांग करने वाले का पिछले लगभग 50 वर्षो से निर्माण किया हुआ हो, जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि रास्ते की भूमि है और यह रास्ता प्रार्थी भंवरलाल के पुराने बने हुए मकान के उत्तर में 50 फीट लम्बा पुराना रास्ता है। इस रास्ते में प्रार्थी के मकान के दरवाजे व खिड़कियॉ आई हुई है, जो मौके पर मौजूद है। पट्टा जारी करने से पूर्व तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा किसी तरह की जांच नहीं करना बताते हुए रिव्यू आवेदन पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि विप्रार्थीनी को रास्ते की भूमि का पट्टा संख्या 74 जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है, पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 से 157 की कोई पालना नहीं की गई। उन्होने तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसके पद संख्या 05 में अन्तिम पंक्तियो में यह माना गया हैं कि प्रार्थी का प्रकरण उसके पट्टासुदा मकान के उत्तर में रास्ते की भूमि को विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष मे पट्टा जारी करने के पश्चात बीच रास्ते में लोहे का फाटक लगाकर अतिक्रमण किया गया है और विप्रार्थी संख्या 02 का अतिक्रमण मानते हुए भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी खारिज करने का आदेश दियां और इसी के पद संख्या 06 में माना हैं कि आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिये संबंधित ग्राम पंचायत मे कार्यवाही करें और निर्णय में यह भी माना गया कि विप्रार्थीनी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रास्ते की भूमि का है और यह रास्ता प्रार्थी के मकान के उत्तर की तरफ 50 फीट लम्बा चलता है, इस रास्ते में प्रार्थी के मकान के दरवाजे व खिड़कियॉ आई हुई है। प्रार्थी का मकान पट्टा जारी करने से पूर्व का बना हुआ है, प्रार्थी को उसके मकान के उत्तर में आये हुए सार्वजनिक रास्ते का पूरा–पूरा उपयोग करने का अधिकार है। इसलिये रास्ते की भूमि का जारी किया गया पट्टा खारिज किया जाऐ।

5. इसके जवाब में विप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा जारी पट्टा संख्या 74 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत निगरानी में मूल रेकर्ड से बाद जांच एवं सुनवाई कर आदेश दिनांक 15.06.2016 पारित किया गया है। निर्णय दिनांक 15.06.2016 को रिव्यू करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है जो विधि विरूद्व है, क्योंकि आदेश को रिव्यू तभी किया जा सकता है जब आदेश मे कोई वैद्यानिक त्रुटि रह गई हो या ऐसी आज्ञा जो किसी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी न होने से दी गई हो। मगर आदेश दिनांक 15.06.2016 मे ऐसी कोई वैद्यानिक त्रुटि नहीं रही है। इसलिए प्रार्थी का पुनर्विलोकन आवेदन पत्र खारिज किया जाए।

6. हमने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत जवाब, निगरानी पत्रावली एवं ग्राम पंचायत पाटोदी से प्राप्त रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विप्रार्थी सख्या 02 संगीता देवी द्वारा पट्टा बनाने के आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत पाटोदी ने पत्रावली संख्या 24 कायम कर विप्रार्थी को नियम 157(ख) के तहत पट्टा संख्या 74 दिनांक 20.04.2013 जारी किया गया। इस आदेश के विरूद्व प्रार्थी ने इस न्यायालय में निगरानी संख्या 04/2014 पेश की। जिसमें सभी पक्षकारान को सुनकर एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड से जांच कर, समस्त बिन्दुओं का विवेचन करने के उपरान्त निर्णय दिनांक 15.06.2016 को प्रार्थी की निगरानी खारिज कर, ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा जारी पट्टा को यथावत रखा गया। प्रार्थी ने पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में रिव्यू का मुख्य आधार यह बताया हैं कि विप्रार्थीनी संख्या 02 को जारी पट्टा नियम विरूद्व एवं रास्ते की भूमि का जारी किया गया। जबकि यह बिन्दु निर्णय दिनांक 15.06.2016 पारित करने से पूर्व उठाया था उसके बाद पूर्ण विवेचन कर निर्णय दिनांक 15.06.2016 पारित किया गया था। अब पुनः इसी बिन्दु को पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। काननून किसी आदेश को तभी रिव्यू किया जा सकता है, जब ऐसी आज्ञा जो किसी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी न होने से दी गई हो। जबकि वर्तमान मामले में प्रार्थी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पक्ष इस न्यायालय में निर्णय दिनांक 15.06.2016 में किसी प्रकार के तथ्य की अथवा कानूनी त्रुटि नहीं बता पाये है एवं न ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष पेश किया गया, जिसकी जानकारी वक्ता निर्णय नहीं थी।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निर्णय दिनांक 15.06.2016 को पुनर्विलोकन (Review) करने के कोई सन्तोषजनक आधार उपलब्ध नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का पुनर्विलोकन आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 21.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)